

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

विषय:- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सकों के मानदेय/ अनुबंध की राशि में वृद्धि ।

श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय आदेश सं०- 1747 दिनांक-20.06.2012 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संविदा पर नियोजित चिकित्सकों का मानदेय राशि विभागीय संकल्प सं०- 2443 दिनांक-19.07.2013 द्वारा रू० 25,000=00 (पच्चीस हजार) से अभिवृद्धि करते हुए सामान्य चिकित्सक का रू० 30,000=00 (तीस हजार) एवं विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सक (एम०एस०/ एम०डी० या उससे उपर) का रू० 35,000=00 (पैंतीस हजार) प्रतिमाह निर्धारित किया गया था ।

2. सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने संविदा पर नियोजित बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों का मानदेय स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियोजित चिकित्सकों के समरूप सामान्य चिकित्सकों के लिए कुल मानदेय की राशि रू० 30,000=00 (तीस हजार) से बढ़ाकर रू० 41,000=00 (इक्तालीस हजार) प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है ।

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव में वित्त विभाग की संहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(इन्दु सिंह)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्र०वि०ई००८-८०-११/२०११ (खण्ड)श्र०सं०.....3358

पटना, दिनांक.....19.11.14

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्र०वि०ई००८-८०-११/२०११ (खण्ड)श्र०सं०.....3358

पटना, दिनांक.....19.11.14

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी : 'ई' गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना एवं मुजफ्फरपुर/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, बीमा चिकित्सालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव